

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करेड़ा, जिला- भीलवाड़ा

19/10/22

:: आदेश ::

प्रार्थी के 'खाता दुरुस्ती' प्रार्थना पत्र एवं पटवारी व

निलेश्वर

शु अभिलेख निरीक्षक

की रिपोर्ट तथा तहसीलदार/नायब तहसीलदार

निलेश्वर करेड़ा की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान शु-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम निलेश्वर पटवार हल्का निलेश्वर

तहसील करेड़ा व जिला भीलवाड़ा की जमाबंदी सम्वत्, 2073-76 में खाता 49 संख्या में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	2	3	4	5
	निलेश्वर	49	शंकर लाल पिठ लाल महाजन जारी महाजन	शंकर लाल पिठ लाल गुर्जर जारी गुर्जर

उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

दिनांक:- 19/10/2022

क्रमांक/न्यायालय /2022 /264

प्रतिलिपि:-

1- तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।

2- प्रार्थी श्री शंकर लाल पिठ लाल गुर्जर



उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा जिला भीलवाड़ा